न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 217/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस एसेट रिकन्स्ट्रेक्शन कम्पनी लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शंकर कुमावत 11वीं मंजिल, नार्थ साइड, आर–टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

स्व. फूलचंद जांगिड़ पुत्र पन्ना लाल जांगिड़ जरिये समस्त विधिक वारिसान

1. **बिमला देवी पत्नि स्व. फूलचंद**
2. **नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. फूलचंद,**
3. **रेखा देवी पुत्री स्व. फूलचंद,**
4. **सावित्री देवी पुत्री स्व. फूलचंद,**
5. **मधुबाला पुत्री स्व. फूलचंद,**
6. **ईशा कुमारी पुत्री स्व. फूलचंद**

   समस्त निवासीगण कुमावतों का मोहल्ला, वार्ड न. 05, रामदेव मंदिर के पास, करड़, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान 332710।
7. **ब्रहा प्रकाश जांगिड़ पुत्र रामदेव जांगिड़,** बस स्टेण्ड करड़, सीकर, राजस्थान।

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 23 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने स्व. फूलचंद जांगिड़ पुत्र पन्ना लाल जांगिड़ जरिये समस्त विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **बिमला देवी पत्नि स्व. फूलचंद,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. फूलचंद, रेखा देवी पुत्री स्व. फूलचंद, सावित्री देवी पुत्री स्व. फूलचंद, मधुबाला पुत्री स्व. फूलचंद, ईशा कुमारी पुत्री स्व. फूलचंद एवं ब्रहा प्रकाश जांगिड़ पुत्र रामदेव जांगिड़ की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 20, मिसल नम्बर 51, करड़, दांतारामगढ़, सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 227.55 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 3 फीट की गली, पश्चिम दिशा में आम रास्ता 18 फुट चौड़ा, उत्तर दिशा में भगवान सहाय का मकान बाड़ा एवं दक्षिण दिशा में पन्नालाल बलाई का बाड़ा है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹5,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **24.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री हरीश मिश्रा उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **24.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। स्व. फूलचंद जांगिड़ पुत्र पन्ना लाल जांगिड़ जरिये समस्त विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **बिमला देवी पत्नि स्व. फूलचंद, नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. फूलचंद, रेखा देवी पुत्री स्व. फूलचंद, सावित्री देवी पुत्री स्व. फूलचंद, मधुबाला पुत्री स्व. फूलचंद, ईशा कुमारी पुत्री स्व. फूलचंद व ब्रहा प्रकाश जांगिड़ पुत्र रामदेव जांगिड** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बिमला देवी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 20, मिसल नम्बर 51, करड़, दांतारामगढ़, सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 227.55 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 3 फीट की गली, पश्चिम दिशा में आम रास्ता 18 फुट चौड़ा,, उत्तर दिशा में भगवान सहाय का मकान का बाड़ा एवं दक्षिण दिशा में पन्नालाल बलाई का बाड़ा है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर